सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 14- जल उपभोक्ता समिति लिए सूचना तकनीक की उपयोगिता

विषय 14.1 जल उपभोक्ता समिति के दैनिक प्रबंधन में सूचना तकनीक की उपयोगिता

विषय 14.1

जल उपभोक्ता समिति के दैनिक प्रबंधन में सूचना तकनीक की उपयोगिता

<u>मॉड्यूल 14 के विषय:</u>

14.1 जल उपभोक्ता समिति के दैनिक प्रबंधन में सूचना तकनीक की उपयोगिता

14.2 सिंचाई प्रबंधन में सूचना तकनीक की उपयोगिता

14.3 कृषि में रिमोट सेंसिंग का उपयोग

14.4 जल उपभोक्ता समिति के लिए मौसम पूर्वानुमान की उपयोगिता

जल उपभोक्ता समिति के दैनिक प्रबन्धन में सूचना तकनीक की उपयोगिता

1. **आपसी चर्चा से समस्याओं का समाधानः**

वर्तमान परिस्थिति में साधारणतयाः सभी के पास सामान्य अथवा ''**टच फोन**'' मोबाइल उपलब्ध है। जल उपभोक्ता समिति के सदस्य मोबाइल के माध्यम से आपस में चर्चा कर प्रगतिरत कार्यो, भविष्य की योजनाओं, नहरी प्रणाली की वर्तमान स्थिति इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

इसके अतिरिक्त कोई भी सदस्य अपनी किसी भी समस्या/जानकारी हेतू अध्यक्ष/प्रबन्ध समिति के सदस्य से फोन पर वार्ता कर समस्या से अवगत करवा सकता है एवं पानी संचालन, सिंचाई कर इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकता हैं।

2. **सूचना का आदान प्रदानः—**

पहले जल उपभोक्ता संगम से सम्बन्धित सभी सूचनाओं का आदान प्रदान साधारणतयाः पत्र के माध्यम से किया जाता था। वर्तमान में मोबाइल के माध्यम से साधारण सभा की बैठक का आयोजन की सूचना, बैठक का ऐजेन्डा, कार्यवाही विवरण, सिंचाई जल वितरण के कार्यक्रम, सिंचाई कर की मांग, बकाया, नहरी प्रणाली के क्षतिग्रस्त होने, नहरी प्रणाली पर प्रगति कार्यो इत्यादि की सूचना सभी सदस्यों को एक साथ बहुत कम खर्च में उपलब्ध करवाई जा सकती है। प्रत्येक सदस्य को उक्त सूचनाओं की जानकारी मोबाइल पर प्राप्त होने से उसे अपने गांव/घर से अध्यक्ष/प्रबन्ध समिति के सदस्य के गांव/घर तक जाने की आवश्कयकता नही होती है जिससें उसके समय एवं धन की बचत होती है।

कृषक सदस्य अपनी समस्या के बारे में आवश्यकता होने पर विभाग के अधिकारियों से भी फोन पर वार्ता कर सकता है जिसके लिए उसे ब्लांक/जिला कार्यालय में जाने की आवश्यकता नही है एवं उसके समय एवं धन की बचत होती है।

3. **प्रबन्ध समिति एवं साधारण सभा की बैठकः**

प्रबन्ध समिति की बैठक की सूचना (चित्र 1), कार्यवाही विवरण, निर्देशों की अनुपालना, इत्यादि कार्यकारिणी के सदस्यों तक मोबाइल के माध्यम से आसानी से पहुँचाई जा सकती है। इसी प्रकार साधारण सभा की बैठक की सूचना, कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना रिपोर्ट तथा वित्तीय आडिट, सामाजिक अंकेक्षण इत्यादि की सूचना/रिपोर्ट सदस्यों तक मोबाइल के माध्यम से पहूंचाया जा सकता है। इसी तरह किसी भी आवश्यक/ आपातकालीन सूचना जिसके द्वारा सभी सदस्यों को

चित्र 1.बैठक की सूचना

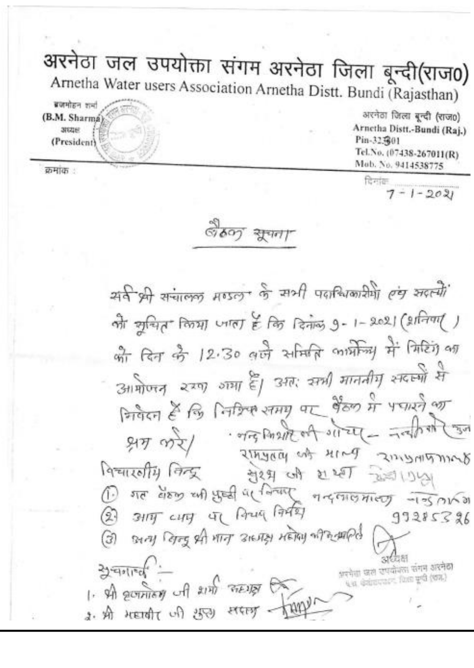

अरनेठा जल उपयोक्ता संगम अरनेठा जिला बून्दी(राज0)
Arnetha Water users Association Arnetha Distt. Bundi (Rajasthan)

बृजमोहन शर्मा
(B.M. Sharma)
अध्यक्ष
(President)

अरनेठा जिला बून्दी (राज0)
Arnetha Distt.-Bundi (Raj.)
Pin-323801
Tel.No. (07438-267011(R)
Mob. No. 9414538775

क्रमांक :

दिनांक 7-1-2021

बैठक सूचना

सर्व श्री संचालक मण्डल के सभी पदाधिकारीयों एवं सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 9-1-2021 (शनिवार) को दिन के 12.30 बजे समिति कार्यालय में मिटिंग का आयोजन रखा गया है। अतः सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि निश्चित समय पर बैठक में पधारने का श्रम करें।

विचारणीय बिन्दू
(1) गत बैठक की पुष्टी पर विचार
(2) आय व्यय पर निर्णय
(3) अन्य बिन्दु श्री मान अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति

अध्यक्ष
अरनेठा जल उपयोक्ता संगम अरनेठा

सूचनार्थ :-
1. श्री बृजमोहन जी शर्मा अध्यक्ष
2. श्री महावीर जी गुप्ता सदस्य

अचानक बुलाना हो अथवा कोई बैठक करवानी हो तो भी सूचना मोबाईल के माध्यम से पहुँचाई जा सकती है।

4. वित्तीय लेनदेनः–

जल उपभोक्ता संगम अपने सभी वित्तीय लेन देन मोबाइल /कम्पयूटर के माध्यम से भी कर सकती है। **''नेट बैकिंग''** के माध्यम से सिंचाई कर की वूसली आसानी से की जा सकती है एवं निर्माण कार्यो हेतू भुगतान भी नेट बैकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। नेट बैकिंग के माध्यम से बैंक मे जमा राशि की जानकारी भी कभी भी किसी भी समय मोबाइल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। विशेषकर वे कृषक जो सिंचाई परियोजनाओं के बाहर अन्य शहर, राज्य अथवा देश में रहते है उन्हे सिंचाईं कर ''डिमाड़ की पर्ची'' मोबाइल से भेजकर सूचित किया जा सकता है एवं वो कृषक नेट बैकिंग के माध्यम से सिंचाई कर ऑन लाईन जमा करवाकर उसकी सूचना जल उपभोक्ता संगम को उपलब्ध करवा सकते है।

5. **मौसम की जानकारी**:–

मोबाइल के माध्यम से कृषक अपने क्षेत्र के आगामी 1–2 सप्ताह के मौसम की भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। भारत सरकार/राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध करावाए गये ''ऐप'' के माध्यम से वर्षा, तापमान, आद्रता, हवा का वेग इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर फसलों हेतु आवश्यक तैयारी कर सकता है।

6. **आपदा प्रबन्धन**ः

मोबाइल पर उपलब्ध ''ऐप'' तथा भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबन्ध**न** के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है । बाढ़, ओले, अतिवृष्टि, टिड्डियों का हमला, तुफान इत्यादि की भी पूर्ण सूचना प्राप्त कर कृषक अपनी फसलों हेतु आवश्यक तैयारी कर सकता है ।

चित्र 2 ड्रोन द्वारा दवा का छिड़काव

7. **कृषि सम्बन्धी मार्गदर्शन (Advisory) :–**

भारत सरकार/राज्य सरकार, कृषि विश्वविद्यालय एवं कई अन्य एजेन्सी से कृषि सम्बन्धी तकनीकी जानकारी – जैसे बीज का चयन, उपचार, फसलों में लगने वाली बीमारियों, टिड्यिों का हमला, कब–कब कितनी सिंचाई करना, फसलों का क्षेत्र के अनुसार चयन, दवाइयों के माध्यम से उपचार खाद/उर्वरक की मात्रा इत्यादि कर सकता है।

कई बार फसलों में कीट का प्रकोप हो सकता है तथा कई फसलों में बीमारियॉ भी लग सकती है , उचित मार्गदर्शन हेतू कृषक अपने मोबाइल से फोटो लेकर (**चित्र 3**) कृषि वैज्ञानिकों को भेजकर उचित उपचार/मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है ।

चित्र 3.कृषि सम्बन्धी मार्गदर्शन

8. **फसल बीमाः–**

मोबाईल के माध्यम से कृषक अपनी फसलों का बीमा करवाने के साथ–साथ किसी भी नुकसान की स्थिति में मोबाइल के माध्यम से ''**फोटो**'' लेकर अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है।

9. **सेटेलाइट के माध्यम से जानकारीः**

आजकल केन्द्र सरकार /राज्य सरकार/ एजेन्सियों द्वारा सेटेलाइट के माध्यम से भी कई जानकारियॉ उपलब्ध करवाई जाती है। मौसम की जानकारी, आपदा, फसलों की स्थितियॉ, फसलों में बिमारियों, सिचाई की आवश्यकता इत्यादि की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाती है।

10. **प्रशिक्षण प्राप्त करनाः–**

कम्पयुटर , मोबाइल के माध्यम से कृषक किसी भी विषय पर अधिक तकनीकी जानकारी (**चित्र 4)** आसानी से प्राप्त कर सकता है। आजकल काफी विषयों पर आनलाईन पढाई, प्रशिक्षण, नवीनतम जानकारी इत्यादि प्राप्त कर सकता है।

चित्र 4. कृषि सम्बन्धी तकनिकी जानकारी

11. **कृषि उपज की दरों की जानकारीः–**

कम्पयुटर/मोबाईल के माध्यम से कृषक अपनी उपज को बेचने के लिए विभिन्न शहरों/मण्डियों की दरों की जानकारी प्राप्त कर (**चित्र 5)** अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकता है।

https://enam.gov.in/web,

https://agmarknet.gov.in

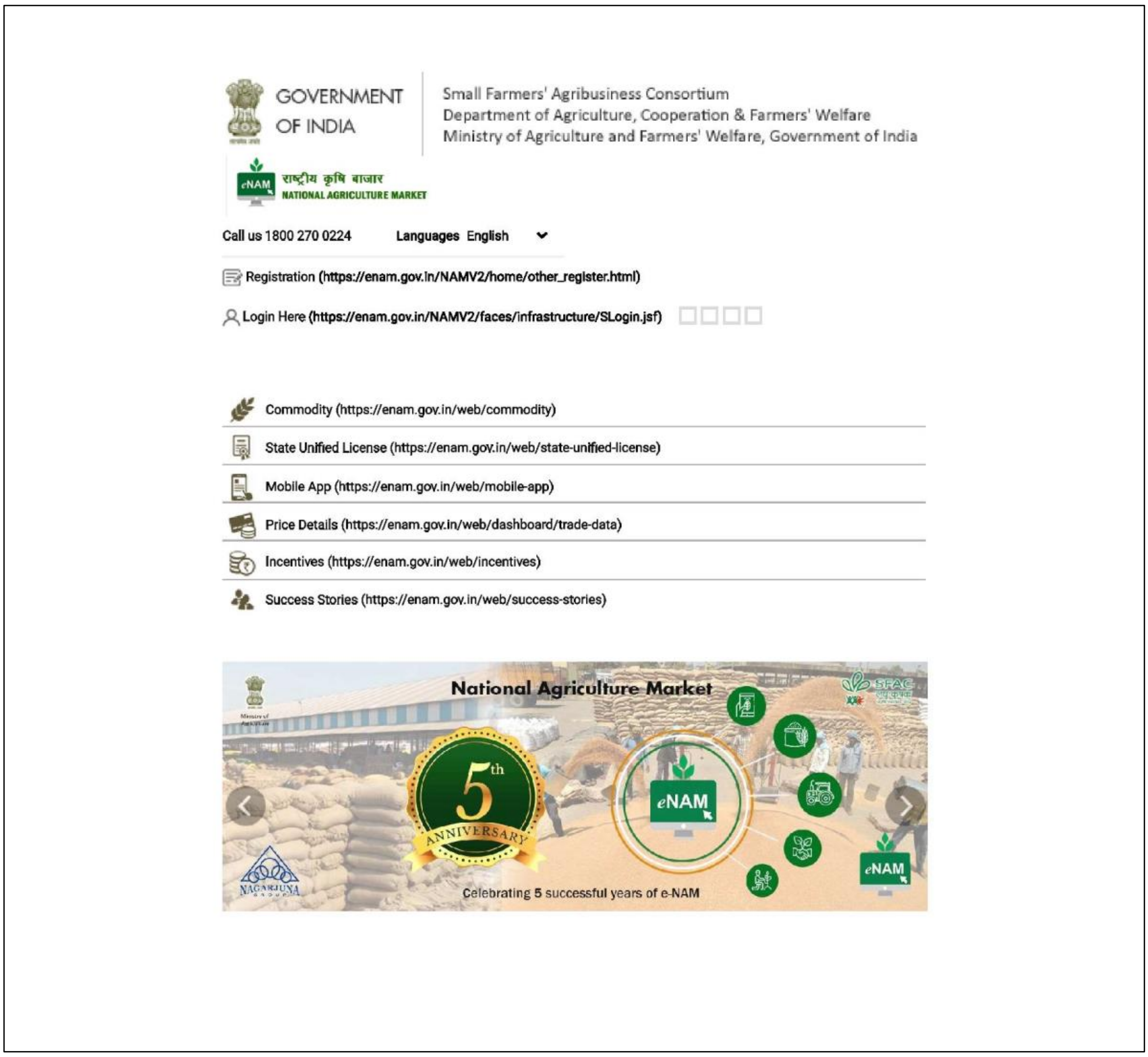

चित्र 5. कृषि उपज की दरों की जानकारी.